प्रेस नोट 21.03.2023

अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, एक पिकअप वाहन में आलू के बोरी के नीचे छुपाकर बिहार जा रही 143 पेटी (1236.96 लीटर) विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब तथा 16 पेटी किंग फिशर (192 लीटर) बियर बरामद कर 04 अन्तरराज्यीय तश्करों को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनन्जय मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दिनांक 20. 03.2023 को रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकटिया ओवर ब्रिज के पास से घेराबन्दी कर एक पिकअप वाहन (बीआर 06 जीई 3985) में आलू के बोरियों के नीचे छुपाकर बिहार जा रही विभिन्न ब्राण्डों की 143 पेटी अंग्रेजी शराब (1236.96 लीटर) बरामद कर चार अभियुक्तगण सुदेश साहनी पुत्र सौकी साहनी निवासी महेन्द्रवारा थाना महेन्द्रवारा जनपद सीतामढ़ी बिहार, रजनीश कुमार मिश्र पुत्र रूपकान्त मिश्र निवासी बधारी थाना रूनी सैदपुर जनपद सीतामढ़ी बिहार, संजय कुमार पुत्र शंकर प्रसाद निवासी कालीकोटी थाना मुजफ्फरपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार तथा आदिल महमूद पुत्र महमूद अहमद निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तो के निशानदेही पर मयुर बिहार कालोनी से 16 पेटी किंग फिशर बियर (192 लीटर) बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान उक्त गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि यह शराब और बियर हम लोग बिहार लेकर जा रहे थे जहा शराब बन्द है इसलिए हमे काफी फायदा होता है। पुलिस से बचने के लिए आलू के बोरो के बीच में हम लोग इसे छुपाये थे। जब शराब और बियर कहा से लाते है इस सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह शराब और बियर हम लोग थोक विक्रेता गोदाम मालिक अमित झा के यहा से लिये है यह शराब और बियर हमे नवीन सिंह ने दिया है जो अमित झा के यहा रहता है।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/23 धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम व धारा 120बी भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सुदेश साहनी पुत्र सौकी साहनी निवासी महेन्द्रवारा थाना महेन्द्रवारा जनपद सीतामढ़ी बिहार।
2. रजनीश कुमार मिश्र पुत्र रूपकान्त मिश्र निवासी बधारी थाना रूनी सैदपुर जनपद सीतामढ़ी बिहार।
3. संजय कुमार पुत्र शंकर प्रसाद निवासी कालीकोटी थाना मुजफ्फरपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।
4. आदिल महमूद पुत्र महमूद अहमद निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. विभिन्न ब्राण्डों (रायल स्टेज, रायल ग्रीन, आफिसर च्वाइस, 8 पीएम) की 143 पेटी अंग्रेजी शराब (1236.96 लीटर)।
2. 16 पेटी किंग फिशर बियर (192 लीटर)।
3. एक पिकअप वाहन (बीआर 06 जीई 3985)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 सरफराज खान, उ0नि0 निरज कुमार यादव, का0 संजीव सिंह, का0 जगन्नाथ जैसल, का0 रामजनम पाल, का0 पवन **थाना सरायलखंसी।**

आबकारी निरीक्षक विमलेश कुमार यादव, आरक्षी रामप्रवेश क्षेत्र प्रथम सदर मऊ।

आबकारी निरीक्षक सुरेश कुमार क्षेत्र मुहम्मदाबाद।

तीन शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 07 बण्डल विद्युत तार तथा एक तार काटने का उपकरण (हेक्सा ब्लेड) बरामद–

आज दिनांक 21.03.2023 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अलीनगर पेट्रोलपंप के पास से घेराबन्दी कर एक पिकअप वाहन (यूपी 54 एटी 3859) में लदा चोरी का 07 बण्डल तार तथा तार काटने का उपकरण एक हेक्सा ब्लेड बरामद कर तीन अभियुक्तगण रहमतुल्लाह पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी राघोपट्टी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, रामप्रवेश पुत्र लल्लन राम, वीर बहादुर पुत्र नकछेदी निवासीगण हजौली थाना गडवार जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह तार हम लोग रतनपुर कस्बे के आस पास से कुछ दिन पहले काट कर चुराये थे मामला शांत होने के उपरान्त हम लोग इसको मऊ ले जाकर बेचने के फिराक मे थे। इसके पहले भी हम लोग बलिया जिले के फेफना और रसड़ा क्षेत्र में माल चुराकर बेच चुके है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41,411,414 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद चार पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।